संख्या–230/VI/2005–3(8)2005

प्रेषक,

संतोष बडोनी
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक पर्यटन,
पटेलनगर, देहरादून ।

पर्यटन अनुभाग:

देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत यात्रा मार्गो पर टैंक स्टैण्ड पोस्ट चरही नव निर्माण, यात्रा मार्गो की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान देहरादून के अ0शा0 पत्र संख्या–4025/यात्रा मार्ग पे0यो0/04–05 दि0 28–2–2005 (प्रतिलिपि संलग्न) के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–05 के अन्तर्गत यात्रा मार्गो पर टैंक टाइप स्टैण्ड पोस्ट चरही नव निर्माण, यात्रा मार्गो की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव हेतु कमशः रू0 69.45 लाख एंव रू0 30.20 लाख कुल रू0 99.65 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत कमशः रू0 68.10 लाख एंव रू0 27.12 लाख अर्थात कुल रू0 95.22 लाख के आगणनों पर प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति देते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में रू0 19.50 लाख (रू0 उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को डिपोजिट के रूप में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्ग है, स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

9–आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11–उक्त कार्य के भविष्य में अनुरक्षण का दायित्व जल संस्थान का ही होगा । और मासिक रूप से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण एंव उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

12–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को संदर्भित कर दी जायेगी।

13—आयाणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

14—निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

15—कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

16—कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु पर्ट चार्ट तैयार किया जायेगा व इसे प्रथम किश्त से आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ईकाईयों का सुदढीकरण को प्राथमिकता दी जायेगी।

17—उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–49–पर्यटन विकास की नई योजनाऐं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

18—उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा० सं०–1014 / वित्त अनु०–3 / 2005, दिनांक 31 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्या– VI / 2005–3(8) 2005 / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, गाजरा, देहरादून।
2– आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी ।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी / चमोली / पौड़ी / टिहरी ।
5– जिला पर्यटन विकास अधिकारी, उत्तरकाशी / चमोली / पौड़ी / टिहरी ।
6– वित्त अनुभाग–3, ।
7– श्री एल०एम०पन्त, अपर सचिव वित्त ।
8– अपर सचिव, नियोजन।
9– निजी सचिव मा० मुख्यमन्त्री जी, उत्तरांचल शासन।
10 निजी सचिव मा० पर्यटन मन्त्री जी, उत्तरांचल शासन ।
11–निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तरांचल।
12–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव